

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....S.S./जैसल/20.10...20...11...

यह प्रमाणित किया जाता है कि मरु धर सेवा  
सेवाएं, जैसलमेर जिला जैसलमेर का  
राजस्थान अध्या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक उन्नीस माह जुलाई सन् दो हजार दस को  
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जैसलमेर

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BD 048164

:: शपथ-पत्र/बंध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप ::

मैं बलोचा खां पुत्र बलाने खां जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी- ग्राम सतारवाली (नेतसी) तहसील व जिला- जैसलमेर का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरी संस्था का नाम मरूधर सेवा संस्थान, सतारवाली एवं संस्था का पंजीयन संख्या 1493/2015 दिनांक 22-05-2015 यह है।
2. मेरी गौशाला/पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम सतारवाली तहसील का नाम जैसलमेर जिले का नाम जैसलमेर यह है।
3. मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा छोड़े गये 190 बड़े 10 छोटे कुल 200 पशु संधारित हैं।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

SIGNATURE/TH ATTESTED

SAWAI SINGH

शपथग्रहिता :-

**तसदीक :-** मैं बलोचा खां पुत्र बलाने खां जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी- ग्राम सतारवाली (नेतसी) तहसील व जिला- जैसलमेर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

दिनांक :-

शपथग्रहिता :-

SIGNATURE/TH ATTESTED  
SAWAI SINGH  
NOTARY JAISALMER

07.04.2022

पंजीयन क्रमांक 1493  
दिनांक 22-05-2015  
डिस्पेंच नं. 728  
दिनांक 22-05-2015

राजस्थान सरकार

प्रपत्र ( फार्म ) संख्या-7

## निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक ( रजिस्ट्रार ), गौशालाएँ राजस्थान, जयपुर



### गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत ( देखिये नियम-6 )

श्री मरुधर सेवा संस्थान  
ग्राम सतारवाली पोस्ट नेतसी  
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री बलोच खाँ अध्यक्ष न्यासी ( ट्रस्टी )  
गौशाला श्री मरुधर सेवा संस्थान ने राजस्थान  
गौशाला अधिनियम, 1960 ( अधिनियम संख्या 24 सन् 1960 ) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला  
के पंजीयन ( रजिस्ट्रेशन ) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।  
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के  
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत ( रजिस्टर ) करली गई है।

आज दिनांक बाईस माह मई वर्ष दो हजार पन्द्रह

रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक  
( गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी )  
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर